सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-2/डी- 2260 दिनांक 12.01.2021

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापाल,
जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति संभी संभाग

विषयः- लंबित फॉर्म-51 के संबंध में ।

संदर्भः- इस कार्यालय के पत्र क्रं.नि.वि.1/स-2/डी-1621 दिनांक 04.10.2016 एवं 2634 दिनांक 18.01.2017, 240 दिनांक 18.04.2017, 1172 दिनांक 11.08.2017, 1931 दिनांक 08.11.2017, 589 दिनांक 23.05.2018, 1281 दिनांक 10.08.2018, 1864 दिनांक 14.11.2018, 1036 दिनांक 25.07.2019, 2546 दिनांक 16.01.2020, 143 दिनांक 05.06.2020, 714 दिनांक 14.08.2020 एवं 1686 दिनांक 03.11.2020

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लंबित फार्म-51 अद्यतन तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु लंबित फार्म-51 की स्थिति में कोई विशेष सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है ।

इस संबंध में लेख है कि जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के विभिन्न संभागों से फार्म-51 प्राप्त न होने की स्थिति में रेमिटेन्स/चैक्स के अंतर्गत लंबित राशियों का समायोजन नहीं हो पा रहा है । ऐसे संभाग जो बंद हो चुके है किन्तु फार्म-51 लंबित हैं, के संबंध में संबंधित संभाग जिसमें कि इनका विलय/पुनर्विनियोजन हुआ है, को भिजवाने हेतु विशेष रूप से प्रयत्न करें । यह भी उल्लेखनीय है कि, फॉर्म-51 जो कि मासिक लेखे का महत्वपूर्ण भाग है, का निराकरण, संभागीय लेखापालों/संभागीय लेखा अधिकारियों के परफार्मेन्स को प्रदर्शित करता है ।

अतः, पुनः सभी वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापालों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ संभागों के लंबित फार्म-51 अद्यतन तैयार कर, अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि लेखांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके ।

उपरोक्त कार्य में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्राथमिकता प्रदान करें ।

इसे वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि.ले) के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.-1